Witness no. .... **12** ....for .... **अभियोजन साक्षी** .... Deposition taken

the.... **शनिवार** ..... day of ..... **30/03/2024**.....Witness's apparent age ...... **72 वर्ष** ....

States on affirmation...... **शपथ पूर्वक** ..... My name is ....**डॉ. रामनारायण वर्मा** ..

Son of .... **सुखराम वर्मा** .... occupation .... **रेडियोलॉजिस्ट** ....

address............ **व्ही.वाय.हास्पीटल, कमल विहार रायपुर छ०ग०** ....

मुख्य परीक्षण द्वारा सुश्री शमीम रहमान अतिरिक्त लोक अभियोजक

01. मैं व्ही.वाय.हास्पीटल कमल विहार रायपुर में वर्ष 2015 से रेडियोलॉजिस्ट के रूप में कार्यरत हूं ।

02. दिनांक 29.08.2018 को मेरे द्वारा राजेन्द्र चंद्राकर, उम्र 59 वर्ष का डॉ० पी सक्सेना के द्वारा रिफर किये जाने पर बायें भुजा का एक्सरे किया गया था । मेरी एक्सरे रिपोर्ट **प्रपी–13** है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है । उक्त रिपोर्ट के अनुसार मेरे अभिमत में आहत के बायें भुजा में खिसका हुआ रेडियस और अलना का अस्थिभंग था, शेष दर्शित हड्डियां सामान्य थी । आहत का एक्सरे प्लेट प्रकरण में संलग्न है ।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री सैय्यद जिशान अधिवक्ता वास्ते आरोपी आकाश दुबे

03. यह कहना सहीं है कि राजेन्द्र चंद्राकर के एक्सरे में दर्शित फैक्चर उन्हें कब और कैसे हुआ था इस संबंध में मुझे जानकारी नहीं है । यह कहना सहीं है कि राजेन्द्र चंद्राकर ने मुझे नहीं बताया था कि उसे प्रपी–13 में दर्शित फैक्चर कब और कैसे हुआ था । यह कहना सहीं है कि प्रपी–13 में दर्शित फैक्चर राजेन्द्र चंद्राकर को गिरने से भी हो सकता है । स्वतः कहा कि फैक्चर खुद से गिरने अथवा दुर्घटना से भी आ सकता है ।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री रवि शर्मा अधिवक्ता वास्ते आरोपी श्याम प्रकाश

04. यह कहना सहीं है कि मैं नहीं बता सकता कि राजेन्द्र चंद्राकर को प्रपी –13 के अनुसार जो फैक्चर आया था वह कितनी पुरानी हो सकती है ।

II-157
C.J.

Witness no. .... 12 ....for .... **अभियोजन साक्षी** .... Deposition taken

समयः– 11.50 से 12.10 तक

साक्षी को पढ़कर सुनाया गया,
सही होना स्वीकार किया ।

सही/–
मधुसूदन चंद्राकर
अष्टम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
रायपुर (छ०ग०)

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया ।

सही/–
मधुसूदन चंद्राकर
अष्टम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
रायपुर (छ०ग०)

साक्षी का हस्ताक्षर ....

''पूर्वगामी कथन अभियुक्त की हाजिरी में जिसे कि साक्षी का प्रतिपरीक्षण करने का अवसर दिया गया था, लिया गया। यह कथन साक्षी को समझाया गया तथा मेरे द्वारा उसकी उपस्थिति में प्रमाणित किया गया।''

मधुसूदन चंद्राकर
अष्टम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश,
जिला रायपुर (छ0ग0)